

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक : ए4 () लेखा/ब.प्लान/नि: जांच/14-15/२२1 दिनांक 21-10-2014
संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

विषय:-मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 12-सहायतार्थ अनुदान में अतिरिक्त बजट आवंटन के क्रम में।

संदर्भ:- निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर की अनाै0 टिप्पणी 367 दिनांक 17.10.2014 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की क्रियान्विति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संबंधित चिकित्सा संस्थानों की मेडिकल सिलिफ सोसायटीयों के माध्यम से व्यय करने हेतु कुल राशि रु. 1323.00 लाख (अक्षरे राशि रुपये तोरह करेड तेईस लाख मात्र) का संबंधित लेखा शीर्षों में 12-सहायतार्थ अनुदान में सर्लपन परिशिष्ट-1 के अनुसार अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है।

राशि का व्यय विभाग द्वारा जारी गार्डलार्डिन दिनांक 30.05.2013 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो तथा इस कार्यालय के बजट आवंटन पत्र क्रमांक.ए.4(1) लेखा/बीएनपी/14-15/1 दिनांक 01.04.2014 में दिये गये निर्देशों एवं राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रो, वित्तीय नियमों एवं गार्डलार्डिस का भी पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए व्यय किया जावे।

नोट-

1. यह राशि मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के लिए ही उपयोग की जायेगी। अन्य किसी कार्यों में नहीं, अन्य किसी कार्य में लेने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।
2. इस योजना में किया जाने वाला व्यय इस योजना हेतु समय-समय पर जारी गार्डलार्डिस के साथ-साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के तहत क्रय किया जावेगा।
3. उपमद 12-सहायतार्थ अनुदान (Grant in aid) का आहरण जी ए-118 प्रपत्र में अथवा सहायतार्थ अनुदान हेतु निर्धारित नवीन प्रपत्र में आहरण किया जाकर व्यय संबंधित चिकित्सा संस्थान की मेडिकल सिलिफ सोसायटी के माध्यम से किया जावे।
4. आई.एफ.एम.एस में अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों को आगे भी आवंटन किया जा सकता है।

संलग्न:- परिशिष्ट-1

वित्तीय सहायिका
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 21-10-2014

क्रमांक : ए4 () लेखा/ब.प्लान/नि: जांच/14-15/२२1

प्रतिलिपि :- नोडल अधिकारी (एमएनजेवाई) मुख्यालय को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैं-




मुख्य लेखाधिकारी (बजट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान-जयपुर।

S.No.	CMHO	Office ID	बजट शीर्ष (आयोजना)			Total
			2210-06-101-20-01 12 राजपथ अंश	2210-06-789-03-01 12 राजपथ अंश	2210-06-796-07-01 12 राजपथ अंश	
1	Ajmer	20200	24.00			24.00
2	Alwar	20201	44.60			44.60
3	Barmer	20204	26.40			26.40
4	Baran	20203			4.30	4.30
5	Bharatpur	20206	26.60			26.60
6	Bhiliwara	20207	32.60			32.60
7	Bikaner	20209		20.80		20.80
8	Bundi	20210	14.60			14.60
9	Ratangarh (Churu)	20239		24.00		24.00
10	Dausa	20242	16.60			16.60
11	Dholpur	20243	12.00			12.00
12	Ganganagar	20247		22.00		22.00
13	Hanumangarh	20246		18.00		18.00
14	Jaipur-I	20249	29.60			29.60
15	Jaipur-II	20250	17.80			17.80
16	Jaisalmer	20253	11.40			11.40
17	Jalore	20254	19.60			19.60
18	Jhalawar	20255	21.20			21.20
19	Jhunjhunu	20256		34.60		34.60
20	Jodhpur	20257	35.00			35.00
21	Karauli	20258	13.00			13.00
22	Kota	20259	18.80			18.80
23	Nagaur	20260	41.20			41.20
24	Pali	20261	31.80			31.80
25	Rajsamand	20265	15.80			15.80
26	Sawai Madhopur	20264	11.60			11.60
27	Sikar	20265		37.60		37.60
28	Tonk	20267	17.80			17.80
	TOTAL-A		482.00	157.00	4.30	643.30

(अक्षर राशि रुपये के साथ 43 लाख 30 हजार मात्र)


 वित्तीय सलाहकार
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
 राजस्थान, जयपुर